निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श0)

(सं0 पटना 855) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

20 जनवरी 2020

सं० 2400—नालंदा जिलान्तर्गत **थाना– मानपुर में स्थित श्री ठाकुरजी महाराज सरबद्दी ठाकुरबाड़ी, ग्राम– सरबद्दी** पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 4475 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु ग्रामीण स्तर पर आम सभा की बैठक करके प्रस्तावित 9 सदस्यों की न्यास समिति गठन करने की मांग की जा रही थी, जिसका स्थानीय थाना से सत्यापन भी कराया गया है तथा अंचलाधिकारी, बिहार शरीफ (नालंदा) द्वारा भी अपने पत्रांक– 605, दि0– 20/02/19 द्वारा उपरोक्त चयनित सदस्यों की 9 सदस्यीय सूची को ही अनुशंसा कर भेजा गया है।

संचिका पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि न्यास को समर्पित सम्पत्ति को सेवायत जमुना पाण्डे के मरणोपरांत उनके पुत्रगण द्वारा अवैध रूप से विक्रय कर सम्पत्ति बर्बाद की जा रही है। अभी भी कुछ भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त है, जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सभी तथ्य पर विचार करते हुए उक्त ठाकुरबाड़ी की सुरक्षा हेतु एक न्यास समिति गठित किये जाने की आवश्यकता महसुस हुयी।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तावित नामों की न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित किया जाता है। पर्षद के गठन होने पर इसको नियमित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए "**श्री ठाकुरजी महाराज सरबद्दी ठाकुरबाड़ी, ग्राम– सरबद्दी, था0– मानपुर, जिला– नालंदा**" के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "**श्री ठाकुरजी महाराज सरबद्दी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, ग्राम– सरबद्दी, था0– मानपुर, जिला– नालंदा**" होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**श्री ठाकुरजी महाराज सरबद्दी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्राम– सरबद्दी, था0– मानपुर, जिला– नालंदा**" होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकालकर खर्च किया जायेगा।
4. न्यास के खाते का संचलान दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण रखा जायेगा । महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे । बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:–

(1)	श्री सुरेश यादव पिता– स्व0 रामफल यादव पता– ग्राम– ईसानगर, पो0– करकायम, था0–घोसवरी, जिला– पटना।	अध्यक्ष
(2)	श्री उपेन्द्र यादव पिता– स्व0 त्रिलोकी यादव पता– ग्राम– ईसानगर, पो0– करकायम, था0– घोसवरी, जिला– पटना।	सचिव
(3)	श्री शिवदानी यादव पिता– वासुदेव यादव– पता– ग्राम– ईसानगर, पो0– करकायम, था0– घोसवरी, जिला– पटना।	कोषाध्यक्ष
(4)	श्री सोहन शर्मा पिता– स्व0 शिवु ठाकुर– पता– ग्राम+पो0– सरबद्दी, था0– मानपुर, जिला– नालंदा।	पुजारी–सह–सदस्य
(5)	श्री कौशलेन्द्र यादव पिता– श्री बाबु लाल यादव– पता– ग्राम+पो0– सरबद्दी, था0– मानपुर, जिला– नालंदा।	पुजारी–सह–सदस्य
(6)	श्री ललित महतो पिता– दुखन महतो– पता– ग्राम– ईसानगर, पो0– करकायम, था0– घोसवरी, जिला– पटना।	सदस्य
(7)	श्री रामवृक्ष पाण्डे पिता– स्व0 सहदेव पाण्डे पता– ग्राम+पो0– सरबद्दी, था0– मानपुर, जिला– नालंदा।	सदस्य
(8)	श्री खिरोधी यादव पिता– सकल यादव– पता– ग्राम– ईसानगर, पो0– करकायम, था0– घोसवरी, जिला– पटना।	सदस्य
(9)	श्री सुमन कुमार पिता– मधुसूदन प्रसाद– पता– ग्राम– ईसानगर, पो0– करकायम, था0– घोसवरी, जिला– पटना।	सदस्य

अध्यक्ष एवं सचिव को निर्देश दिया जाता है कि ठाकुरबाड़ी की जो भूमि अवैध रूप से कब्जा में है, उसके संबंध में कार्रवाई कर भूमि को अतिक्रमणमुक्त करायें तथा खेती योग्य भूमि की बन्दोवस्ती प्रतिवर्षद के हिसाब से करें और उसके आय–व्यय का लेखा–जोखा सत्य व सही विवरण पर्षद के समक्ष उपस्थिापित करें।

न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से किया जाता है। पर्षद के गठन के पश्चात इसके नियमित किए जाने पर विचार किया जायेगा।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि श्री ठाकुरजी महाराज सरबद्दी ठाकुरबाड़ी, ग्राम– सरबद्दी, था0– मानपुर, जिला– नालंदा के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः– **न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय / पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।**

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 855-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in